[2018] 9 एससीआर 349

मध्य प्रदेश राज्य

बनाम

गंगाबिशन @ विष्णु और अन्य।

(2009 की आपराधिक अपील संख्या 2393) 27 जुलाई, 2018

[अभय मनोहर और एस अब्दुल नज़ीर, न्यायमूर्तिगण]

दंड संहिता, 1860: धारा 302/149, 325/149, 147, 148, 440 और 304 (भाग 1) – 9 अभियुक्तों पर धारा 302/149, 325/149, 147, 148 और 440 के तहत मुकदमा चलाना – घटना के घायल चश्मदीद गवाह – मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया गया – ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि – ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि को चुनौती देने वाले सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया गया – आरोपी नंबर 1 को छोड़कर सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। चश्मदीद गवाह के बयान के साथ–साथ मृतक के मृत्यु पूर्व बयान की चिकित्सा साक्ष्य द्वारा पुष्टि नहीं की गई है – मामले के तथ्यों में उत्तरदाता–अभियुक्त (आरोपी संख्या 2 से 9) पर दायित्व नहीं लगाया जा सकता है – चिकित्सा साक्ष्य के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि आरोपी नंबर 1 का इरादा हत्या करने का नहीं था, लेकिन उसका कार्य शारीरिक चोट पहुंचाना था जिससे मृत्यु होने की संभावना थी – इसलिए, आरोपी संख्या 1 को धारा 304 (भाग 1) के तहत दोषी ठहराया जाना और उच्च न्यायालय द्वारा शेष अभियुक्तों को बरी करना उचित था। अपील को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा:

1. पीडब्ल्यू –1 द्वारा विभिन्न हथियारों के साथ सभी अभियुक्तों की भागीदारी और मृतक के साथ–साथ खुद को चोट पहुंचाने के बारे में सामान्य बयान पीडब्ल्यू –8 और ऑटोप्सी सर्जन पीडब्ल्यू –7 के चिकित्सा साक्ष्य द्वारा विधिवत पुष्टि नहीं की गई है। पीडब्ल्यू –1 का संस्करण चिकित्सा साक्ष्य द्वारा झूठ बोला गया है। मरने से पहले दिए बयान में मृतक ने कहा है कि आरोपी नंबर 1 को छोड़कर, उसे नहीं पता था कि किसने उस पर हमला किया था, लेकिन उसी सांस में उसने कहा है कि आरोपी नंबर 3 और आरोपी नंबर 2 द्वारा उस पर लाठी से हमला किया गया था। हालांकि, उनके बयान की पुष्टि मेडिकल सबूतों से नहीं हुई है। [पैरा 7] [353–ई–जी]

2. पक्षकारों के बीच विवाद मवेशियों के प्रवेश और फसलों को नुकसान पहुंचाने के कारण उत्पन्न हुआ, साथ ही 349 सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 9 एससीआर। जिस तरह से मृतक और पीडब्ल्यू –1 को चोटें आईं। मामले को समग्र रूप से देखते हुए, उच्च न्यायालय ने आरोपी संख्या 2 से 9 को बरी कर दिया है। जहां तक अभियुक्त नंबर 1 का संबंध है, उसके कृत्य की चिकित्सा साक्ष्य के साथ–साथ मृत्यु पूर्व बयान (एक्स.पी/4) द्वारा पूरी तरह से पुष्टि की गई है। हालांकि, पीडब्ल्यू –1 को कठोर और कुंद वस्तु के कारण चोटें आईं, लेकिन उनके बयान के अनुसार, उन पर सभी अपीलकर्ताओं द्वारा हमला किया गया था, जबकि उन्हें केवल चार चोटें आईं और उन्हें फायर आर्म या तेज धार वाले हथियार से कोई चोट नहीं आई। इसलिए, प्रतिवादियों द्वारा इस गवाह को चोट पहुंचाने के लिए जवाबदेही तय करना मुश्किल होगा। [पैरा 8] [353–जी–एच; 354–ए–बी]

3. जहां तक मृतक का सवाल है, उसे गोली लगी थी और उसकी बाईं जांघ के पीछे प्रवेश घाव था। चिकित्सा साक्ष्य को देखते हुए, यह अनुमान लगाना आसान होगा कि यदि आरोपी नंबर 1 का मृतक की हत्या करने का इरादा था और उस उद्देश्य के लिए फायर आर्म का इस्तेमाल किया गया था, तो चोट मृतक की कमर के ऊपर ऊपरी अंग पर हो सकती थी। इस प्रकार, हालांकि आरोपी नंबर 1 का इरादा मृतक की हत्या करने का नहीं था, लेकिन यह कृत्य शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए था जिससे मौत होने की संभावना थी। इसलिए, उच्च न्यायालय ने पाया कि वह आईपीसी की धारा 304 (भाग 1) के तहत दंडनीय गैर इरादतन हत्या के लिए जिम्मेदार होगा। उच्च न्यायालय ने पूरे सबूतों को स्कैन करने के बाद यह भी माना कि प्रतिवादियों का मृतक की हत्या करने का इरादा नहीं था। उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई खामी नहीं है। [पैरा 9] [354–सी–एफ]आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2009 की आपराधिक अपील संख्या 2393। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 06.12.2006 के निर्णय और आदेश से, 2001 की आपराधिक अपील संख्या 1370 में इंदौर में खंडपीठ। उपस्थित पक्षों की ओर से सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, नीरज शर्मा, सुश्री प्रिया हिंगोरानी, चंद्र भूषण प्रसाद, कुलदीप एस. परिहार, एच. एस. परिहार, अधिवक्ता। मध्य प्रदेश राज्य बनाम गंगाबिशन @ विष्णु और अन्य। अदालत का निर्णय एस अब्दुल नज़ीर, न्यायमूर्ति द्वारा सुनाया गया था। विशेष अनुमति से यह अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा इंदौर में 2001 की आपराधिक अपील संख्या 1370 में पारित 2001 की आपराधिक अपील संख्या 1370 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शाजापुर, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 4 दिसंबर, 2001 को पारित निर्णय के खिलाफ दी गई है, जिसमें उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों के खिलाफ धारा 302/149 और 325/129 के तहत प्रतिवादियों की दोषसिद्धि के फैसले और आदेश को रद्द कर दिया है। प्रतिवादी नंबर 1 को छोड़कर उत्तरदाता। प्रतिवादी संख्या 1 को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग–I) के तहत दोषी ठहराया गया है और उसे 10 वर्ष के कारावास और 25,000/– रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

2. अभियोजन पक्ष के मामले में संक्षेप में कहा गया है कि दिनेश (पीडब्ल्यू –1) और उसका भाई राजेश (मृतक) फसलों को देखने के उद्देश्य से जंगल में स्थित अपने खेत में थे। उस समय, आरोपी नंबर 1 गंगाबिशन उर्फ विष्णु को छोड़कर, जिसके पास 12 बोर की बंदूक थी, आरोपी व्यक्ति लाठी और तलवारें लिए वहां पहुंचे और राजेश पर अपने–अपने हथियारों से हमला करना शुरू कर दिया। आरोपी नंबर 1 ने 12 बोर की बंदूक से मृतक की बाईं जांघ पर गोली मारी, जिसके कारण वह जमीन पर गिर गया। दिनेश ने रोना शुरू कर दिया। हालांकि, कोई भी उनके बचाव में नहीं आया। किसी तरह वह घटना स्थल से भागने में सफल रहा और उसने सिद्धनाथ, रामसिंह, गोपाल खाती और लक्ष्मीनारायण खाती को घटना के बारे में बताया। वे सभी मृतक राजेश को खेत से चारपाई पर लाए और उसके बाद उसे मिनी ट्रक में ले गए। मृतक राजेश बेहोश हो गया। आरोपी व्यक्ति अपने मवेशियों को चराकर पीडब्ल्यू –1 की खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे थे और यह घटना उसी दिन सुबह पीडब्ल्यू –1 द्वारा उठाई गई आपत्ति के कारण हुई।

3. अपराध दर्ज करने और एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच तैयार की। मृतक का पोस्टमार्टम डॉ. कपिल सहाय (पीडब्ल्यू–7) ने किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्स पी/10 है। डॉ. विजयसिंह, पीडब्ल्यू –8 ने शुरू में उसी दिन मृतक राजेश की जांच की और पीडब्ल्यू –1 की भी जांच की। उनकी एमएलसी रिपोर्ट क्रमशः पी / 11 और पी / 12 हैं। तहसीलदार श्री पुरुषोत्तम शर्मा (पीडब्ल्यू–2) द्वारा मृतक का मृत्यु

पूर्व बयान (पूर्व पी/4) भी दर्ज किया गया था। जांच के बाद, अभियुक्तों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 9 एस.सी.आर. आईपीसी की धारा 302/149, 325/149, 147, 148 और 440 के तहत अपराध। आरोपी नंबर 1 के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत भी चार्जशीट दाखिल की गई थी.

4. ट्रायल कोर्ट ने पूर्ण सुनवाई करने के बाद आरोपियों को आईपीसी की धारा 302/149 के तहत दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना और डिफ़ॉल्ट रूप से तीन साल की अतिरिक्त आरआई, आईपीसी की धारा 325/149 के तहत दो साल की कैद और 2000 रुपये का जुर्माना और चूक पर एक साल की अतिरिक्त आर.आई. भारतीय दंड संहिता की धारा 440 के तहत तीन वर्ष की सजा और 5000/- रुपये का जुर्माना और चूक करने पर छह महीने की अतिरिक्त आर.आई. और अभियुक्त संख्या 1 को छोड़कर, शेष अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के तहत एक वर्ष की कैद और 500/- रुपये का जुर्माना और चूक करने पर दो महीने की अतिरिक्त आर.आई. | भारतीय दंड संहिता की धारा 148 और शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत दोषी ठहराया गया और उसे दो वर्ष के आर.आई. और 1000/- रुपये का जुर्माना और चूक करने पर चार महीने की अतिरिक्त आर.आई. और चार महीने की आर.आई. और 1000/- रुपये का जुर्माना और चूक करने पर क्रमशः चार महीने की अतिरिक्त R.I_ की सजा सुनाई गई।

5. व्यथित महसूस करते हुए, आरोपी ने अपील दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। यहां दिए गए फैसले से, उच्च न्यायालय ने आरोपी संख्या 2 से 9 (प्रतिवादी संख्या 2 से 9) की दोषसिद्धि के फैसले और आदेश को रद्द कर दिया। हालांकि, प्रतिवादी नंबर 1 को आईपीसी की धारा 304 (भाग 1) के तहत दोषी ठहराया गया है और दस साल की सजा सुनाई गई है और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

6. हमने पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना है। अपीलकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों की सराहना करने में विफल रहा है कि प्रतिवादी जो संख्या में नौ थे और तेज धार वाले हथियारों, लाठियों से लैस थे और उनमें से एक के पास 12 बोर की बंदूक थी, शिकायतकर्ता और उसके भाई पर हमला करने और मारने के इरादे से घटना स्थल पर आए थे और हिंसा के इस लेनदेन में भाई को हिंसा के इस लेन-देन में शामिल किया गया था। शिकायतकर्ता की आरोपी नंबर 1 द्वारा गोली लगने से मौत हो गई। इसलिए, नीचे दी गई अदालत प्रतिवादी संख्या 2 से 9 की सजा और दोषसिद्धि को रद्द करने में उचित नहीं थी। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने धारा 302 आईपीसी के तहत प्रतिवादी नंबर 1 की दोषसिद्धि और सजा को रद्द करने और धारा 304 (भाग 1) आईपीसी के तहत आरआई की दस साल की कम सजा देने का फैसला भी उचित नहीं था। दूसरी ओर, मध्य प्रदेश के विद्वान राज्य बनाम गंगाबिशन @ विष्णु और अन्य। [एस अब्दुल नज़ीर, न्यायमूर्ति] प्रतिवादियों की ओर से पेश वकील ने उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को सही ठहराने की मांग की है।

7. हमने अपीलकर्ता-राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान वकील और प्रतिवादियों की ओर से पेश विद्वान वकील की प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से यह स्पष्ट है कि मृतक राजेश को जांघ के आंतरिक पहलू पर केवल एक चोट लगी थी, जो एक निकास घाव था। चोट नंबर 2 बाईं जांघ के पिछले हिस्से पर बंदूक की गोली का घाव था। हेमेटोमा था और जांघ की हड्डी टूट गई थी। डॉ. विजयसिंह

(पीडब्ल्यू –8) ने मृतक की जांच की और एमएलसी रिपोर्ट (एक्स पी / 11) जारी की। उन्होंने मृतक के भाई पीडब्ल्यू–1 दिनेश की भी जांच की और उसमें तीन घाव और एक घाव मिला। डॉक्टर की राय में बाएं अग्रभाग पर चोट नंबर 1 को छोड़कर सभी चोटें प्रकृति में सरल थीं। पीडब्ल्यू–1, दिनेश एक चश्मदीद गवाह है। पीडब्ल्यू –2 ने मृतक राजेश (पूर्व पी / 4) का मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया। पीडब्ल्यू –1 के बयान से यह स्पष्ट है कि उन्होंने आरोपी द्वारा मृतक और खुद पर हमले के बारे में एक सामान्य और सर्वव्यापी बयान दिया है। आरोपी नंबर 1 के पास बारह बोर की बंदूक थी और अन्य आरोपी लाठियों से लैस थे। हालांकि, डॉक्टर की रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक को आरोपी नंबर 1 के कारण बाईं जांघ पर केवल एक चोट लगी थी। न तो मृतक और न ही पीडब्ल्यू –1 को तेज धार वाले हथियार से कोई चोट लगी थी। पीडब्ल्यू–1 के बाएं उल्ना की हड्डी टूट गई है और कठोर और कुंद वस्तु के कारण तीन साधारण चोटें आई हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया है कि किस आरोपी ने उन्हें चोट पहुंचाई है। सभी आरोपियों के अलग–अलग हथियारों के साथ भाग लेने और मृतक के साथ–साथ खुद को चोट पहुंचाने के बारे में उनके सामान्य बयान की पीडब्ल्यू –8 और ऑटोप्सी सर्जन पीडब्ल्यू –7, डॉ कपिल सहाय के चिकित्सा साक्ष्य द्वारा विधिवत पुष्टि नहीं की गई है। पीडब्ल्यू –1 का संस्करण चिकित्सा साक्ष्य द्वारा झूठ बोला गया है। मरने से पहले दिए बयान में मृतक ने कहा है कि विष्णु प्रसाद (आरोपी नंबर 1) को छोड़कर उसे नहीं पता था कि उस पर किसने हमला किया था, लेकिन उसी सांस में उसने कहा है कि चतुर्भुज (आरोपी नंबर 3) और लक्ष्मीचंद (आरोपी नंबर 2) ने उस पर लाठी से हमला किया था। हालांकि, उनके बयान की पुष्टि चिकित्सा साक्ष्य से नहीं हुई है क्योंकि उनके शरीर पर आग की बांह की चोट के अलावा एक भी खरोंच नहीं आई थी।

8. यहां यह ध्यान देना आवश्यक है कि पार्टियों के बीच विवाद मवेशियों के प्रवेश और फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ–साथ मृतक और पीडब्ल्यू –1 को चोट पहुंचाने के तरीके के कारण उत्पन्न हुआ। मामले को समग्र रूप से देखते हुए, उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 9 एससीआर आरोपी संख्या 2 से 9 को बरी कर दिया है। जहां तक अभियुक्त नंबर 1 का संबंध है, उसके कृत्य की चिकित्सा साक्ष्य के साथ–साथ मृत्यु पूर्व बयान (एक्स.पी/4) द्वारा पूरी तरह से पुष्टि की गई है। हालांकि, पीडब्ल्यू –1 को कठोर और कुंद वस्तु के कारण चोटें आईं, लेकिन उनके बयान के अनुसार, उन पर सभी अपीलकर्ताओं द्वारा हमला किया गया था, जबकि उन्हें केवल चार चोटें आईं और उन्हें फायर आर्म या तेज धार वाले हथियार से कोई चोट नहीं आई। इसलिए, प्रतिवादियों द्वारा इस गवाह को चोट पहुंचाने के लिए जवाबदेही तय करना मुश्किल होगा।

9. जहां तक मृतक राजेश का सवाल है, उसे गोली लगी थी और उसकी बाईं जांघ के पीछे प्रवेश घाव था। इससे पता चलता है कि गोली उसके पिछले हिस्से से चलाई गई थी। बाहर निकलने के घाव पर कोई कालापन, जला हुआ घाव नहीं था। प्रवेश घाव पर कालापन और जलन मौजूद थी जो दिखाती है कि बंदूक की गोली 6 से 8 फीट की सीमा के भीतर चलाई गई थी। मेडिकल साक्ष्य को देखते हुए, यह अनुमान लगाना आसान होगा कि अगर आरोपी नंबर 1 का इरादा मृतक की हत्या करने का था और उस उद्देश्य के लिए फायर आर्म का इस्तेमाल किया गया था, तो चोट मृतक की कमर के ऊपर ऊपरी अंग पर हो सकती थी, लेकिन चोट पहुंचाने के लिए चुना गया हिस्सा बाईं जांघ का पिछला हिस्सा था। इस प्रकार, हालांकि आरोपी नंबर 1 का इरादा मृतक की हत्या करने का नहीं था, लेकिन यह कृत्य शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए था जिससे मौत होने की संभावना थी। इसलिए, उच्च न्यायालय ने पाया कि वह आईपीसी की धारा 304 (भाग 1) के तहत दंडनीय गैर इरादतन हत्या

के लिए जिम्मेदार होगा। उच्च न्यायालय ने पूरे सबूतों को खंगालने के बाद यह भी माना कि प्रतिवादियों का मृतक राजेश की हत्या करने का कोई इरादा नहीं था। हमें उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई कमी नजर नहीं आती।

10. तदनुसार, अपील खारिज की जाती है।

कल्पना के. त्रिपाठी की अपील निरस्त।

(अनुवादक)

स्वाति वर्मा

सिविल जज (जू०डी०), त्वरित न्यायालय,

बरेली।